email 11-07-22

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–5/विविध/2022/10–11/2426 भोपाल, दिनांक 11/07/2022

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल मंदसोर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– मंदसोर जिले के अन्तर्गत Jio digital Fibre Pvt. Ltd द्वारा Gandhi Sagar Hydel Border Ratangarh Route में ओ0एफ0सी0 लाईन डालने हेतु 0.2 हेक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबत्। (प्र0 क्रमांक / FP/MP/OFC/156036/2022)

संदर्भः– (1)भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/11-9/98-FC दिनांक 16.10.2000

(2)मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/18/2002/10–3 दि0 18.11.2004 एवं क्रमांक/एफ–5–11/2006/10–3 दि0 31.05.2014

(3) मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/18/2002/10–3 दि0 01.07.2009

(4)इस कार्यालय का पत्र क्र./एफ–5/2018/निर्देश/10–11/48 दि. 06.01.2018

—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सामान्य अनुमोदन एवं राईट ऑफ वे के अंतर्गत, वन भूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन/भूमिगत पीने के पानी की पाईप लाईन/भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के प्रकरणों में स्वीकृति के अधिकार संबंधित वनमण्डलाधिकारियों को प्रदत्त किए गए हैं। संदर्भित पत्र (4) द्वारा दिए गये निर्देश अनुसार स्वीकृति जारी करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः–

1– उपरोक्त प्रस्ताव की हार्डकॉपी आवेदक संस्थान द्वारा आपके कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः इस प्रस्ताव को इस कार्यालय द्वारा ऑनलाईन OK कर दिया गया है।

2– आप ऑनलाईन भाग–II में समस्त प्रविष्टियां करेंगे।

3– ऑनलाईन भाग–II में प्रविष्टियों के बाद ऑनलाईन तथा हार्डकॉपी में प्रस्ताव अनुमोदन हेतु मुख्य वन संरक्षक को भेजेंगे। मुख्य वन संरक्षक ऑनलाईन अपनी अनुशंसा ई–पोर्टल में अपलोड कर इस कार्यालय को भेजेगे। हार्डकॉपी इस कार्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। वनमण्डलाधिकारी से सहमति हेतु प्राप्त प्रस्ताव मूलतः अपनी अनुशंसा सहित हार्डकॉपी वनमण्डलाधिकारी को वापिस भेजेंगे।

4– मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन प्राप्त होने तथा प्रस्ताव ऑनलाईन नोडल अधिकारी स्तर पर परीलक्षित होने के बाद सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की जावे तथा स्वीकृति की प्रति इस कार्यालय को भेजें। आपके द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रति ई–मेल से प्राप्त होने पर इसे वेबपोर्टल पर इस कार्यालय द्वारा अपलोड किया जावेगा। आपके द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में प्रस्ताव का अनुक्रमांक FP/MP/OFC/156036/2022 अनिवार्य रूप से अंकित रहंना चाहिए।

—2—

5– प्रकरण में यदि कोई वृक्ष काटा जाना है तो प्रस्ताव में स्वीकृति आपके स्तर से जारी न की जावे। यदि प्रस्तावित फाइवर लाईन राइट ऑफ वे में न आकर वनक्षेत्र के बीच से गुजर रही है तो स्वीकृति आपके स्तर से जारी न की जावे।

6– **आवेदक संस्थान को राशि रूपये 100/– के भुगतान की शर्त अधिरोपित न की जावे। आवेदक संस्थान द्वारा Mutation की कार्यवाही करने तथा सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन शर्तवार अपलोड करने पर इस कार्यालय द्वारा आपको औपचारिक स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देशित किया जावेगा। बिना इस कार्यालय की पूर्व अनुमति के औपचारिक स्वीकृति जारी न की जावे।**

7– इस कार्यालय द्वारा अनुमति दिये जाने के उपरांत आपके द्वारा जारी औपचारिक स्वीकृति को इस कार्यालय द्वारा वेबपोर्टल पर अपलोड किया जावेगा।

8– उपरोक्त कार्यवाहियां पूर्ण होने पर ही प्रकरण में सभी कार्यवाहियां पूर्ण होना माना जावेगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–5/विविध/2022/10–11/2427 भोपाल, दिनांक 11/07/2022

प्रतिलिपि:–

1– मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।

2– SCO, Jio Digital Fiber Pvt. Ltd., 3rd Floor, DB Mall, Zone-1 M.P. Nagar Bhopal, Madhya Pradesh.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

स्था./व्यय/राजस्व/स्टनो
मो.चि./न्याया./एन.आर.आई./जैव विविधता
मुख्य लिपिक 11/7/22
व.म.अ. मन्दसौर

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी
आवक क्र 5814
दिनांक 11-7-22